फर्द अहकाम

रामदेव बनाम केसर देवी

न्यायालय ACM-II

संख्या प्रा पत्र बाजदयारी/31/2019

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आज दिनांक 8/11/19 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कार्य/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/11/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	
	29/11/19	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाजदयारी पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में गत तारीख पेशी दिनांक 05.09.2019 को श्रीमान् न्यायालय के समक्ष नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर प्रार्थीगण–वादीगण की रिश्तेदारी में मौत हो जाने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर पाये तथा प्रार्थीगण/वादीगण के अधिवक्ता भी न्यायालय में व्यस्त होने के कारण श्रीमान् न्यायालय के समक्ष हाजिर नही हो सके जिससे श्रीमान् न्यायालय ने दिनांक 05.09.2019 को प्रार्थीगण–वादीगण को अनुपस्थित दर्ज कर उक्त प्रकरण को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज फरमा दिया। प्रार्थीगण–वादीगण से उक्त गैर हाजरी मजबुरीवश हुई हैं जो जानबूझकर न होकर उक्त कारणवश हुई हैं जो कि क्षमा किये जाने योग्य है तथा प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्याययोचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वादीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण/वादीगण के वाद को पुनः नंबर पर लिया जाना प्रार्थीगण/वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने की कृपा करें। अप्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित है कि प्रार्थीगण द्वारा देहावसान में जाने का कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया और प्रार्थीगण के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। इसके कारण दावा अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज फरमा दिया गया। रूलिंग – ए.आई.आर. 1968 राजस्थान 14 स्टेट बनाम रघुराज सिंह। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा गैर हाजिरी जानबूझकर हुई है। न्यायालय के आदेश की पालना न तो प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा की गई और न ही उसके अधिवक्ता द्वारा की गई। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का रेस्टोरेशन समय 01 माह (30 दिन) होता है लेकिन प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा 1 माह के समय के पश्चात् पेश किया गया है जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा–5 का	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

रामदेव बनाम केसरदेवी

नाम न्यायालय ACM II

केस संख्या प्रा.पत्र वाजाप्ता-31/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। रूलिंग राधोसिंह बनाम मोहन सिंह 2001 (9) ए.सी. 717। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पुनः नंबर पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि प्रार्थीगण/वादीगण ने न तो मियाद अधिनियम के धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया और न ही प्रार्थना पत्र में देरी से पेश करने की कोई रिलिफ मांगी है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। यदि प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया जाता है तो उसमें प्रत्येक दिन की देरी होने का कारण बताया जाता है। रूलिंग – केशव प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान ए.आई.आर 1967 राजस्थान, कलेक्टर लैण्ड बनाम काती ए.आई.आर 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज नं. 1353। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद दिनांक 05.09.2019 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया है वह सही खारिज किया गया है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05.09.2019 को अनुपस्थित रहने का कोई भी ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है इसच कारण वादीगण का प्रार्थना पत्र रेस्टोर किये जाने योग्य नही है। वादीगण संख्या 3 द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो झुठा शपथ पत्र दिया गया है उसमें भी प्रतीत होता है कि दिनांक 05.09.2019 के दिन जानबूझकर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये है। प्रार्थीगण संख्या 3 द्वारा झूंठा शपथ पत्र दिया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है इसलिये झूंठा शपथ पत्र देने पर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवं न्यायालय में झूंठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा फरमाया जावे एवं भारी हर्जे–खर्चे के साथ प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2019 को मूलवाद वकील वादीगण एवम् स्वयं वादीगण के अनुपस्थित रहने पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम् 9 व्य.प्र.सं. दिनांक 09.10.2019 को पेश किया गया। जो अन्दर मियाद से 4 दिवस देरी से पेश किया गया है। उक्त देरी हेतु प्रार्थीगण/वादीगण ने मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। यदि प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया जाता है तो उसमें प्रत्येक दिन की देरी होने का कारण बताया जाता है। लेकिन प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कही अंकित नही किया है कि प्रार्थीगण/वादीगण को 4 दिवस की देरी क्यो हुई। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र में जानबूझकर देरी की है और देरी का कारण भी अंकित नही किया है। इसलिए प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

रामदेव बनाम केसर देवी

म न्यायालय ACM-II

स संख्या प्रार्थना पत्र बाजयाफ्ती/31/2019

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		9 व्य.प्र.सं. देरी से पेश किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.12.09 16:54:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: